

॥ कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर ॥

क्रमांक :- 229

दिनांक :- 10/2/12

पुलिस अधीक्षक,
जयपुर उत्तर/पश्चिम/पूर्व/पश्चिम/
मुख्यालय/यातायात।

विषय:- सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की प्रभावी क्रियाविधि हेतु।

जैसा कि सर्व विदित है कि धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अस्थमा, कैंसर इत्यादि जैसी गंभीर एवं जानलेवा बीमारियाँ फैलती हैं। अतः लोकोहित में लोक स्वास्थ्य संरक्षण हेतु तम्बाकू के उपयोग को इतोत्सहित करने, प्रगतिशील निर्बंधन अधिरोपित कर तम्बाकू से संबंधित विक्रयकों, उसके संवर्धन एवं प्रयोजन को कम करने के लिए प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रयोजनार्थ सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विक्रयन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रसार और वितरण का अधिनियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) एवं स्वास्थ्य धूम्रपान का प्रतिबंध और अनुसंधानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 2000 में उपबन्धित प्रावधानों की प्रभावी क्रियाविधि सुनिश्चित कर जयपुर महानगर को धूम्रपान मुक्त करने की कार्ययोजनाअनुसंधान सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4, 5, 6 व 7 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :-

धारा-4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों (अस्पताल भवन, व्यायाम भवन, सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, समाचार, सार्वजनिक बाहरी इत्यादि एवं सामान्यतः जहाँ एक जनों का आवागमन होता है) पर निम्नलिखित उपबन्ध किये गये हैं :

- सार्वजनिक स्थान के प्रत्येक प्रवेश द्वार, प्रत्येक मंजिल के प्रमुख स्थान पर "धूम्रपान निषेध" का बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। (बोर्ड का प्रारूप संलग्न)
- इस बोर्ड पर स्थान के प्रभारी व्यक्ति का नाम, धर व फोन नम्बर जिससे शिकायत की जा सके, प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
- धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली तस्वीरें जैसे एस्ट्रे, माथिस, ग्राहटर इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध नहीं होने चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति उक्त सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान नहीं करे।

धारा-21 के तहत उक्त किसी उपबन्ध के उल्लंघन पर उस व्यक्ति व संस्थापना/ कार्यालय/ परिसर के प्रभारी पर 200 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

धारा- 6 (ब) के तहत अवयवकों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध को संबंध में निम्नलिखित उपबन्ध किये गये हैं :

- 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को कोई तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेगा और न ही 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जायेगी।
- तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले स्टैंड व दुकान का नासिक या प्रभारी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि तम्बाकू उत्पाद का खरीददार या तम्बाकू उत्पादों को बेचने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का न हो।
- जिस दुकान पर तम्बाकू उत्पाद बेचे जाते हैं वहाँ एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसमें यह घोषणा हो कि "18 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है।" इस बोर्ड का न्यूनतम आकार 60x30 से.मी. होगा। (बोर्ड का प्रारूप संलग्न)

धारा-24 के तहत उक्त किसी उपबन्ध के उल्लंघन पर उस व्यक्ति व संस्थापना/ कार्यालय/परिसर के प्रभारी पर 200 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

धारा- 6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के निकट तम्बाकू उत्पाद बिक्री पर रोक के संबंध में निम्नलिखित उपबन्ध किये गये हैं :

- किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जायेगा।
- शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्य/प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्था के परिसर के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर लिखा हो "शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में दुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य कोई तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।"

धारा-24 के तहत उक्त किसी उपबन्ध के उल्लंघन पर उस व्यक्ति व संस्थापना/ कार्यालय/परिसर के प्रभारी पर 200 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

धारा- 1 के तहत निम्नलिखित उपबन्ध किये गये हैं :

- किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विक्रय नहीं किया जाये।

- किसी भी तम्बाकू उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा कोई भी समारोह, खेल, प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाये।
- तम्बाकू उत्पाद विक्रेता तम्बाकू उत्पादों को ब्रिकी के स्थान पर इस प्रकार रखे कि वठ आसानी से दृष्टिगत न हो।


धारा-22 के तहत एक किसी उपबन्ध के प्रथम बार उल्लंघन पर दो वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों। दूसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों। विज्ञापन सामग्री को अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जप्त किया जा सकता है।

धारा-7 के तहत निम्नलिखित उपबन्ध किये गये हैं :

सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के प्रमुख भाग पर कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र में चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना आवश्यक है। उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा-20 के अनुसार निर्माता व रिटेलर पर कार्यवाही की जा सकती है एवं धारा 13 से 18 के तहत तम्बाकू उत्पाद जप्त करने के प्रावधान किये गये हैं।


सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 एवं राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 2000 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार पालना सुनिश्चित कराते हुए अधिकाधिक प्रभावी कार्रवाही सुनिश्चित कराये। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा-4 व 6 में उपबन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत पर उप निरीक्षक से अभिन्न रैंक के पुलिस अधिकारियों को अपनी अधिकारिता में नीचे पर ही चालान कर जुर्माना वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अतः आप अधीनस्थ थानाधिकारीगण/सहायक पुलिस आयुक्तगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 व 6 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार चालान प्रक्रिया प्रारम्भ करवाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा धारा 5 व 7 में उपबन्धित प्रावधानों के उल्लंघन पर धारा 20, 22 व 23 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कर मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में हर माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रेषित करने का अम्र करें।


पुलिस आयुक्त,
जयपुर।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है-

1. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, जयपुर उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम।
2. समस्त थानाधिकारीगण, जयपुर उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम।


पुलिस आयुक्त,
जयपुर।

**कोदुपा, 2003 के क्रियान्वयन के लिए
मासिक प्रतिवेदन**

थाना क्षेत्र ब्लॉक

जिला

कानून के उल्लंघन का विवरण

प्रतिवेदन माहसेतक

उल्लंघन का प्रकार	इस माह में काटे गये चालान की संख्या	एकत्रित की गई जुर्माना राशि	अब तक कुल काटे गये चालान की संख्या	अब तक कुल एकत्रित की गई जुर्माना राशि	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो
धारा 4					
धारा 5					
धारा 6 (अ)					
धारा 6 (ब)					
धारा 7					

हस्ताक्षर मय: दिनांक

शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य कोई तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंघन किये जाने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

प्राचार्य / प्रबंधक



तम्बाकू
जुमान
विषय

(धारा 08 ए)

60 cms



धूम्रपान निषेध क्षेत्र

यहां धूम्रपान करना
दण्डनीय अपराध है।

30 cms

अगर आप यहां किसी को भी धूम्रपान करते हुए पाते हो तो
कृपया सूचित करें।

नाम व पद

पता एवं फोन नं.

(सारा 04)

18 वर्ष से कम उम्र
वाले व्यक्ति को/के द्वारा
तम्बाकू उत्पादों की बिक्री
एक दण्डनीय अपराध है



(सारा 05 अ)